झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची–834001

1. ऑनलाईन (Online) आवेदन करने की अंतिम तिथि–03.07.2023
2. आवेदन के Hard Copy अभिलेख सहित प्राप्ति की अंतिम तिथि :–14.07.2023

विज्ञापन

विज्ञापन संख्या–15/2023

उप निदेशक अभियोजन निदेशालय नियमित नियुक्ति परीक्षा।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–4183 दिनांक–27.09.2022 द्वारा अधियाचित एवं संसूचित रिक्तियों के अनुरूप **उप निदेशक** अभियोजन निदेशालय के **02 पदों** पर नियमित नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं अर्हत्ताधारी भारतीय उम्मीदवारों से झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन निर्धारित/विहित प्रपत्र में निम्न रूपेण आमंत्रित किया जाता है :–

1. पद का नाम

(a) उप निदेशक, अभियोजन (Deputy Director, Prosecution)

(b) कोटिवार रिक्तियों की संख्या का विवरणः–
Details of the number of Vacancy Category wise :-

SL. No.	Category	Vertical Reservation	Horizontal Reservation					
		No. of Vacancies	Primitive Tribe	Women	Sports	Handicapped		
						Low Vision	Low Hearing	Locomotor Disability (Except Cerebral Palsy)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i.	Unreserved	01	-	00	00	00	00	00
ii.	BC-I	01	-	-				
Total		02	00	00	00	00	00	00

नोट :– कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के अनुसार घट बढ़ सकती है।

(c) वेतनमान–Pay Matrix Level 12 (As per 7th PC) Vide Planning cum Finance Dept. Resolution no. 217/F dt.18-01-2017 Rs-78,800
P.B. III 15,600-39,100/- (ii) Grade Pay : 7,600/- (As per 6th PRC)

2. (A) अनिवार्य योग्यता (Essential Qualifications) -

(i) विधि स्नातक हो।

(ii) अधिवक्ता के रूप में व्यवसायरत, विशेष रूप से अभियोजन क्षेत्र में विधि व्यवसायी (Prosecution Lawyer) के रूप में लगातार कार्य करने का कम से कम 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो।

(iii) अधिवक्ता के रूप में व्यवसायरत विशेष रूप से अभियोजन क्षेत्र में विधि व्यवसायी (Prosecution Lawyer) के रूप में लगातार कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त करने के संबंध में उनके संबंधित जिला/अनुमण्डल बार एसोसिएशन अथवा संबंधित लोक अभियोजक के प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित जिला दण्डाधिकारी अथवा संबंधित उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित महाधिवक्ता द्वारा निर्गत/प्रदत्त अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र मान्य होगा। अभियोजन सेवा में कार्यरत अभियोजकों को राज्य स्तरीय नियंत्री विभाग/निदेशालय द्वारा निर्गत/प्रदत्त अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र मान्य होगा। अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र का विवरण ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट करना होगा तथा साक्षात्कार के समय उक्त प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(B) **आयु सीमा (Age) :-**

उक्त पद हेतु **दिनांक–01.08.2022** को न्यूनतम उम्र सीमा 40 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष होगी। (सभी कोटि के लिए)

3. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :–

(i) आयोग उप निदेशक, अभियोजन के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतिवेदित रिक्तियों के प्रत्येक पद के विरूद्ध तीन अभ्यर्थियों के एक पैनल की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगी।

(ii) आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों के पैनल से पदों पर नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के मुख्य न्यायाधीश की सहमति (Concurrence) से की जायेगी।

(iii) आयोग नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया "Jharkhand Public Service commission, Rules of Procedure 2002 के Chapter-IV में Rectuitment by Selection के अधीन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

4. झारखण्ड लोक सेवा आयोग अन्तर्वीक्षा के लिए निम्न प्रक्रिया अपनायेगा :–

(a) The candidates shall be selected for interview on the basis of their career marks to be calculated on the basis of percentage of marks obtained in Marticulation, Intermediate and LLB Examination. The percentage of marks shall be added together and divided by the number of examinations and a Provissional merit list will Prepared accordingly for the purpose of calling the candidates for interview in the ratio of 1:5 for each category of vacancy.

(b) Marks to be awarded in the interview/viva voce test shall be in the ratio of 100 (hundred) marks for academic achievement and 100 (hundred) marks for interview/viva voce test.

(c) No extra Weightage shall be provided for higher education except required minimum educational qualification fixed as per Advertisement.

5. न्यूनतम अर्हतांक :–

मौखिक परीक्षा में राज्य सरकार के संकल्प ज्ञापांक–3928 दिनांक–11.08.2020 द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा :–

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग एनेक्चर–1	34 प्रतिशत

6. आरक्षण का लाभ :–

(क) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा दावा किये गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र धारित किया जाता है।

(ख) **आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र :–**
आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–4650 दिनांक–02.06.2016 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(ग) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक–235, दिनांक–10.01.2019 के आलोक में अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आव्रजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है।

(घ) जाति प्रमाण पत्र आवेदक के पिता की जाति के आधार पर निर्गत होना चाहिए।

(ङ) विवाहित/अविवाहित महिला आवेदिका के आरक्षण का लाभ हेतु पिता के नाम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण देय होगा।

(च) अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाईन आवेदन में किए गए प्रविष्टि (Entry) के अनुरूप सभी प्रमाणपत्रों की संबंधित मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(छ) **जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है :–**

(i) <u>अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति</u>:– झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1361, दिनांक–03.03.2021 द्वारा संशोधित विहित प्रपत्र–IV अथवा पत्रांक–1754 दिनांक–25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–IV में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्त्ता/प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/अनुमंडल दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी/अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

(ii) <u>अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I</u> :–झारखण्ड राज्य के पिछड़ा वर्ग-I कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1754 दिनांक–25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–11 (क्रीमीलेयर रहित) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। किन्तु क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–1754 दिनांक– 25.02.2019 के अधीन प्रपत्र 15 में क्रीमीलेयर रहित स्वघोषण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

<u>नोटः</u>–

(i) केन्द्रीय सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य (Central Format) गैर क्रिमी लेयर प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(ii) राज्य सरकार के सेवाओं /पदों के लिए अनुमान्य झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के साथ यदि प्रमाण पत्र में Form-11 Required अंकित हो तो Form-11 (Non-Creamy Layer) से संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाय अन्यथा दावे के अनुरूप आरक्षण कोटि की अनुमान्यता नहीं दी जाएगी।

(ज) <u>निःशक्तता का लाभ :–</u>

(i) आवेदन पत्र में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित निःशक्तता का दावा नहीं करने पर निःशक्तता का लाभ देय नहीं होगा। बाद में निःशक्तता का दावा मान्य नहीं होगा।

(ii) निःशक्तता के लाभ हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या–5888, दिनांक–06.08.2018 प्रभावी होगी। निःशक्तता का लाभ कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्त अभ्यर्थी को ही देय होगा। निःशक्तता का दावा हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–2249 दिनांक–03.04.2018 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप **मुख्य परीक्षा के पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निःशक्तता के लिए किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा।** निःशक्तता प्रमाण पत्र का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर **Important Jharkhand Government Circular and Notices** में भी उपलब्ध है।

7. (A) **कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:–**

If during the conduct of examination any candidate is found:

(i) Resorting to any irregular or improper means for obtaining admission to examination;

(ii) Impersonating another candidate or being impersonated by any person at the written or viva voce examination;

(iii) Submitting fabricated or forged documents or documents which have been tampered with or interpolated;

(iv) Making statements which are false or incorrect or suppressing material information;

(v) Commuinicating with any other person for the purpose of getting help or trying to influence the candidature;

(vi) Using any unfair means in the examination hall;

(vii) Behaving unruly, rudely or in an uncivilized manner in the examination hall or violating any instruction(s) issued by the commission in this behalf or disobeying any order(s) of the officials(s) entrusted with the conduct of the examination.

Such candidate shall be expelled forth with from the examination hall under authority of the Commission or by any person authorized by the commission in this behalf. In such a case, the Commission may invalidate the answer books or deal in such other manner with the candidate as it considers fit any proper including his expulsion from any future examination for any period as may be decided.

(B) **कदाचार के लिए कार्यवाही :–**

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गऐ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(C) **पूर्व के कदाचार का प्रभाव:–**

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(D) **अपवाद:–** वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

8. **परीक्षा शुल्क:–**

(a) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(b) अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रू0–**600 (छः सौ) + बैंक चार्ज** मात्र है।

(c) **परीक्षा शुल्क में छूट–** झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0–**150/– (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज** मात्र है। इस रियायती (Concessionary) पद पर परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–1754, दिनांक–25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की प्रति भरे हुए आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। **परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।**

(d) निःशक्त अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है। इसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता प्रमाण–पत्र का विवरण ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट करना एवं आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(e) कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता वाले निःशक्त अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों द्वारा बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे।

9. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :–

(a) Online आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।

(b) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

(c) अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जायेगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(d) ऑनलाईन आवेदन में अंकित **e-mail Id, Mobile Number** तथा प्राप्त **User Id** एवं **Password** को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत **Mobile Number, e-mail Id** अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का **Mobile Number, e-mail Id** अंकित नहीं करेंगे।

(e) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान **Unsuccessul Payment/Transaction Status Failure** के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।

(f) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को **Submit** करने के बाद उसी समय पुनः **Login** कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध **"Download Filled Application Section"** से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित एवं आवेदन में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र/कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(g) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हत्ता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।

(h) **Online Application** में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी **Online Application** भली–भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्त्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।

(i) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व "How to apply" (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट <u>www.jpsc.gov.in</u> पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No.–+919431301636 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह–10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

(j) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के निम्नलिखित Technical Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है :– 1. +919431301636 2. +919431301419

(k) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.– 9431301419 पर संपर्क किया जा सकता हैं।

(l) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे अथवा अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) निर्गत नहीं होने की स्थिति में आवेदक Applied for NOC संबंधी सूचना ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्टि करेंगे तथा समर्पित आवेदन की मूल प्रति Document Verification के समय प्रस्तुत करेंगे।

(m) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

(n) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।

(o) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्त्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक–पत्र में अंकित है।

(p) जन्म तिथि–आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर भरें।

(q) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति कंडिका–9(r) के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित पठनीय प्रति (पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए) आयोग कार्यालय के पते **"परीक्षा नियंत्रक-I, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची, 834001"** पर निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। Hard Copy लिफाफे के उपर **विज्ञापन संख्या–15/2023** तथा **पद का नाम** मोटे (Bold) अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है।

(r) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों के अनुरूप सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति मूल प्रति सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–

- (i) जन्म तिथि के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
- (ii) इंटरमीडिएट/10+2 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
- (iii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
- (iv) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत निबंधन प्रमाण पत्र।
- (v) अधिवक्ता के रूप में व्यवसायरत, विशेष रूप से अभियोजन क्षेत्र में विधि व्यवसायी (Prosecution Lawyer) के रूप में लगातार कार्य करने का कम से कम 10 वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र।
- (vi) जाति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में (झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों हेतु प्रपत्र–IV अथवा संशोधित प्रपत्र–IV में तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–I एवं पिछड़ा वर्ग–II कोटि के अभ्यर्थियों हेतु प्रपत्र–XI में)।
- (vii) सक्षम प्राधिकार द्वारा पूर्ण सूचनाओं सहित विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
- (viii) अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।

(s) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय उपर्युक्त कंडिका–9(r) के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

10. अंतिम तिथि:–

(a) आवेदक **Online Application System** के माध्यम से **दिनांक–01.06.2023 से दिनांक–03.07.2023 अपराह्न–11:45 बजे** तक ही **Online** आवेदन कर सकते हैं।

(b) **दिनांक–03.07.2023** के बाद **दिनांक–05.07.2023 अपराह्न–05:00 बजे** तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

(c) आवेदक आवेदन एवं वांछित प्रमाण पत्रों की हार्ड कॉपी निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा आयोग कार्यालय में **दिनांक–14.07.2023 अपराह्न–05:00 बजे** तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(d) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।